न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी , आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शारदा प्रसाद सिंह, जाति राजपुत, निवासी आमथला रोड़, सेन्ट जोन्स स्कूल के पास, आमथला, तहसील देलदर , जिला सिरोही व अन्य – 3		राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार देलदर, जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/2023

दिनांक 26.9.2023

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम मुदरला, पटवार हल्का आमथला, तहसील देलदर में निम्न खसरा नंबर व रकबे की स्थित है :–

1. कि प्रार्थी संख्या 01 रविन्द्र प्रताप सिंह की खसरा संख्या 377/3 क्षेत्रफल 0.1391 हैक्टेयर कृषि भूमि।
2. कि प्रार्थी संख्या 02 अजय कुमार सिंह की खसरा संख्या 377/1 क्षेत्रफल 0.1390 हैक्टेयर कृषि भूमि।
3. कि प्रार्थीया संख्या 03 श्रीमति सोमी देवी की खसरा संख्या 378 क्षेत्रफल 0.1644 हैक्टेयर कृषि भूमि।
4. कि प्रार्थी संख्या 04 बी.जी.मुथा ग्रुप की खसरा संख्या 357/1 क्षेत्रफल 0.1517 हैक्टेयर कृषि भूमि।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन , कृषि कार्य करने हेतु व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई उपयुक्त सुलभ मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मार्ग प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। यह कि वर्णित कृषि भूमियों की सरहद के पूर्व दिशा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज आम रास्ते की खसरा संख्या 926/380 की भूमि अप्रार्थी के नाम स्थित है, जो रेकर्डेड रास्ता थोड़ा आगे जाकर अप्रार्थी के नाम दर्ज अन्य खसरा संख्या 381 बिलानाम खराबा की भूमि पर जाकर बंद हो जाता है, जिस कारण उक्त रास्ते पर आवागमन सुचारू नहीं है। यह वर्णित कृषि भूमियों मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी के नाम दर्ज अन्य खसरा संख्या 381 बिलानाम खराबा की भूमि के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं सुलभ मार्ग उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करे। अप्रार्थी ने जरिये पत्रांक 196 दिनांक 20.02.2023 जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम मुदरला में स्थित खसरा संख्या 377/3, 377/1 व 378 वा[illegible] दर्ज है परन्तु खसरा संख्या 357/1 रकबा 0.1517 है. किस्म चाही–2 हिम्मत [illegible] पुत्र [illegible]विन्द सिंह जाति राजपूत निवासी तारपाल तहसील गोगुंदा जिला उदयपुर के नाम दर्ज [illegible] है जिसे बाद मे बी.जी.मूथा ग्रुप की भूमि बताया गया है। उक्त [illegible] वर्तमान में राजस्व [illegible] में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के कृषि [illegible] आवागमन के मार्ग [illegible]नाम राजकीय भूमि खसरा संख्या 381 स्थित है जिसमें प्रस्तावनुसार नियमानुसार भू[illegible] हेतु देने से ही सुगम होगा तथा मौका फर्द रिपोर्ट में अंकन है कि वादीयान के ख.न. में माय वर्ल्ड कॉलोनी के रास्तो में से होकर जाने से बीच में ख.न. 381 ग्राम मुदरला का पड़ता है जो बिलानाम है इससे अलावा वादीगण के अन्य कोई मार्ग नहीं है व वादीगण ने इस सरकारी बिलानाम भूमि में से 30 फिट चौड़ा मार्ग चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर दस्तावेजो का अध्ययन किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि खसरा संख्या 381 में से 30 फुट रास्ता चाहा गया है, जो तहसीलदार के पत्रांक 706 दिनांक 12.09.2023 के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। स्टेट के जवाब व मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम मुदरला के खसरा संख्या 381 में से 30 फिट रास्ता दिया जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व अधिकारी प्रस्तावित रास्ता सरकारी बिलानाम भूमि खसरा नंबर 381 रकबा 0.4805 हैक्टेयर में से 144 फीट लम्बा एवं 30 फीट चौड़ा कुल 4320 वर्गफीट अर्थात 0.0401 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। ग्राम मुदरला की डी एल सी दर 505949 रूपये प्रति हैक्टेयर से मूल्यांकन 20290/– रूपये बनता है, जिसका दुगुना मूल्यांकन 40580/– रूपये बनता है। प्रस्तावित रास्ता कायम करते हुए रास्ते का सार्वजनिक रूप से उपयोग हेतु नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व अधिकारी पत्र संख्या 706 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार नियमानुसार राशि का भुगतान करवाते हुए रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करेंगे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

आदेश आज दिनांक 26 .09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested